

Registration Deed Cost F-64-19.00 Lacs  
F-84-25.25 Lacs

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
(अभियन्ता प्रणाली)

104, मदनमो गॉपी मार्ग, लखनऊ

एगोईओ(एगोव्यू) / १५

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव का मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे। तदनुसार एकद्वारा निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जाती है -

क्र०सं०	परियोजना योजना / परियोजना का नाम	परिया० की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
5	आई0डी0 नं०		
1-	095061 अवध विहार योजना(सुल्तानपुर रोड) लखनऊ के सेक्टर-8(जी0एच0-4)में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना- 2013 के अन्तिर्गत " गंगोत्री इन्कलेव " प्रस्तावित एफ - 84 प्रकार के 448 नग एवं एफ-64 प्रकार के 336 नग प्लैट्स (एस + 7) का निर्माण कार्य।	11897.00	29/61

- 1- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- 2- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- 3- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, सम्पत्ति आवंटन एवं भौतिक कब्जा हस्तान्तरण की स्थिति तक उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- उक्त कार्य हेतु निविदाओं का आमंत्रण पंजीकरण के आधार पर किया जायेगा।
- 5- प्लैटों का निर्माण, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जाय।
- 6- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- 7- मा० अध्यक्ष (म०) के निर्देशान्तर्गत उक्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सम्बोधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता उत्तरदायी होंगे तथा कार्यों का आवास आयुक्त एवं अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- 9- निविदा आदि की कार्यवाही के उपरान्त वास्तविक लागत के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- 10- प्रश्नगत कार्य की वित्त पोषण का स्रोत परिषद फण्ड है।

(डी०के०त्यागी)

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)

दिनांक:

16.9.2013

क्र०सं०: 3531 / उक्त / ए-102

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।

वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)/मुख्यालय वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता(मु०)/निर्माण खण्ड-15, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)